

भाग - 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने -

या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय

और निर्दिष्ट सिफारिशें I (राय देते समय, सम्बंधित वन संरक्षक अथवा उप- वन संरक्षक की

प्रतिकूल टिप्पणियों को सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय I)

cf. बरेली की संस्तुति
के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती है ।

तिथि 19/7/22

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर.....

18
Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow